न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
96/2020	दावा 88 RTA	10.09.2020	04.03.2021

बजरंगलाल पुत्र स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
—वादी—

बनाम

1. कमला पत्नी स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजेश पुत्र स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित—
1. अधिवक्ता श्री पंकज प्रजापत व श्री जसवीर वादी
2. अधिवक्ता श्री दीपककुमार प्रतिवादी सं. 1, 2
3. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर वाके रोही बास जैसे का पटवारी हल्का घांघू भू—अभि.नि. क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसके वर्तमान खाता संख्या 18 हैं तथा पुराने खाता संख्या 13 है, जिसमें वादी का 167/428 हिस्सा है। उक्त भूमि के खातेदार वादी के पिता रामप्रताप थे जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इन्तकाल नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। उक्त विरासतन इन्तकाल में वादी का नाम बजरंगलाल की जगह संजय त्रुटिवश दर्ज हो गया है, वादी का सही व वास्तविक नाम बजरंगलाल है, लेकिन स्नेह व प्यार की वजह से वादी को संजय पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटिवश नाम संजय अंकित हो गया। वादी का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में कम संख्या 3 पर अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी संजय का वास्तविक नाम बजरंगलाल है और ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटि होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, कक्षा 10 की अंकतालिका आदि में उसका सही नाम बजरंगलाल है। नाम में त्रुटि होने की वजह से वादी को स[illegible] गैर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी हो रही है, ना [illegible] नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी [illegible] से नाम शुद्ध क[illegible] बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन किया तथा दिनांक 31.08.202[illegible] प्रार्थना पत्र भी दिया, पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 31.08.2020 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है। नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नही है एवं न्यायहित में इसे दुरुस्त किया जा सकता है। वादी ने दिनांक 31.08.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होंने नाम में संशोधन नहीं करने व श्रीमान् जी के यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादगत कृषि भूमि रोही बास जैसे का तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बन्ध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कृषि भूमि खसरा नम्बर 541/200 तादादी 3.4272 हैक्टेयर वाके रोही दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर वाके रोही बास जैसे का पटवारी हल्का घांघू भू–अभि.नि. क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में खातेदार संजय पुत्र रामप्रताप की जगह बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप संशोधित किये का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावे व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकार्ड कराया जावे।

(ख) अन्य अनुतोष हतिकर वादी हो या हो जावे, वो भी प्रदान फरमाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री दीपककुमार एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि दावा में वर्णित तथ्य सही अंकित किये जाने से स्वीकार हैं। वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पति व वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पिता की मृत्यु होने के कारण उनके नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ है। वादी का सही व वास्तविक नाम बजरंगलाल है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार से वादी को संजय पुकारा जाता है। इस कारण वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से संजय अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम बजरंगलाल ही है जो संशोधित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। मद सं. 3 व 4 में वर्णित तथ्य सही दर्ज किये जाने से स्वीकार हैं। वादी के शिक्षा रिकार्ड व पहचान पत्र आदि में वादी का नाम बजरंगलाल अंकित है, शेष तथ्य की जानकारी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को नहीं है। वादी का नाम संजय के स्थान पर बजरंगलाल किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है तथा ना ही प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को किसी प्रकार की कोई क्षति होगी। दावा की मद सं. 6 कानूनी होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की अन्तिम बिना नम्बरी मद अनुतोष वादी को प्रदान किया जाता है तो हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी [illegible] व 2 ने विशेष कथन में अंकित किया कि वादी का सही व वास्तविक नाम बजरंगलाल है लेकिन [illegible] स्नेह व प्यार की वजह से वादी को संजय पुकारा जाता है जिस कारण वादी का नाम [illegible] गलती से संजय अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक [illegible] बजरंगलाल ही है जो संशोधित किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को कोई आपत्ति एत[illegible] नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पूर्ण सहमति है। हम भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं करेंगे। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा मय रिपोर्ट पटवारी हल्का घांघू पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 में वर्णित तथ्य राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित होने से स्वीकार हैं। मद सं. 2 में वर्णित वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी में वादी का नाम अंकित होने का तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं वादी स्वयं साबित करें। दावा के मद सं. 3 से 5 के तमाम तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। मद सं. 6 के तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की अन्तिम बिना नम्बरी मद अनुतोष क व ख में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पटवारी हल्का घांघू से रिपोर्ट ली गई जिसमें ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के बताये अनुसार बजरंगलाल पुत्र स्व. रामप्रताप व संजय पुत्र रामप्रताप दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। बजरंगलाल को ही बचपन में संजय नाम से पुकारा जाता था तथा वर्तमान में बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप के नाम से जाना जाता है। वादी की भूमि रोही ग्राम बास जैसे का ख.न. 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर है जिसमें वादी का 167/428 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम संजय पुत्र रामप्रताप दर्ज है तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम बजरुगलाल पुत्र रामप्रताप अंकित है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का दस्तावेजी नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से इकबाल जवाब पेश करने से दावा साक्ष्यवादी में रखा गया। वकील वादी ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजात को ही साक्ष्यवादी मानने का निवेदन किया जिस पर तद्नुसार माना जाकर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। वकील वादी ने साक्ष्य खोलने का प्रार्थना पत्र पेश कर साक्ष्य अवसर खोलने का निवेदन किया जिस पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को साक्ष्यवादी पेश करने का अवसर दिया गया। साक्ष्यवादी बजरंगलाल ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिनके बायानात लेखबद्ध किये गये। पैरोकार राज व वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई। पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। वकील वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक संयुक्त खातेदारी की है जो वादी को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादी के परिवार में लाड़ प्यार से बोला जाने वाला [illegible] य गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जो आज तक गलत अंकित चला आ रहा है [illegible] दस्तावेजों में वादी का नाम बजरंगलाल अंकित है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम बजरंगलाल ही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित होने से के.सी.सी. [illegible] अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में वादी को काफी कठिनाई व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 3 पैरोकार राज ने इकबाल जवाब पेश करते हुए दावा स्वीकार करने की अनुशंषा की है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कथन

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति व एतराज नहीं है।

पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खसरा नं. 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर रोही बास जैसे का में वादी का नाम संजय पुत्र रामप्रताप 167/428 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रदर्श–2 नकल नामान्तरकरण सं. 168 दिनांक 20.09.05 ग्राम बास जैसे का जो वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर दर्ज हुआ है, जिसमें वादी का नाम संजय अंकित है। प्रदर्श–3 ए राशन कार्ड सं. 00705700113, प्रदर्श–4 ए मतदाता पहचान पत्र सं. ZLX/1030328, प्रदर्श–5 ए बैंक पासबुक खाता संख्या 40680100009488, प्रदर्श–6 ए आधार कार्ड सं. 262706430137, प्रदर्श–7 ए सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 2016 की अंकतालिका में वादी का नाम बजरंगलाल अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई आपत्ति एतराज नहीं होने का तथ्य अंकित किया है। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में उक्त दुरूस्ती बाबत कोई प्रतिवाद नहीं कर नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना जाहिर नहीं की है। पटवारी हल्का घांघू द्वारा पेश रिपोर्ट में अंकित आया है कि ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से जानकारी करने पर बताया गया कि बजरंगलाल पुत्र स्व. रामप्रताप व संजय पुत्र रामप्रताप दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। बजरंगलाल को ही बचपन में संजय के नाम से पुकारा जाता था तथा वर्तमान में बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप के नाम से जाना जाता है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर रोही बास जैसे का में वादी का नाम संजय दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं अंकतालिका में वादी का नाम बजरंगलाल अंकित है। दावा में प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पैरोकार राज ने भी वादी का नाम दुरूस्त करने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं बताई है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी संजय व बजरंगलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताये गये हैं। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संजय गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम बजरंगलाल दर्ज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से होती है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई हो रही है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों, इकबालदावा एवं तहसीलदार, चूरू व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

निर्णय

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, इकबालदावा एवं तहसीलदार, चूरू व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर रोही बास जैसे का में वादी का नाम संजय पुत्र रामप्रताप के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0

बजरंगलाल पुत्र स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. कमला पत्नी स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजेश पुत्र स्व. रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 96 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पंकज प्रजापत एवं श्री जसवीर एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री दीपककुमार एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1, 2 व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, इकबालदावा एवं तहसीलदार, चूरू व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1197/554 तादादी 1.3531 हैक्टेयर रोही बास जैसे का में वादी का नाम संजय पुत्र रामप्रताप के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04 माह मार्च सन् 2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:32 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू